



FAX : 28134075
PHONE : 28134076
E-mail : investors@indianbank.co.in

Corporate Office
Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai
Royapettah
Chennai 600 014

Ref : ISC / 140 / 2020-21

15.07.2020

The Vice President National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai - 400 051. NSE Symbol : INDIANB	The Manager B S E Limited Phiroze Jeejibhai Towers Dalal Street Mumbai - 400 001. Stock Code : 532814
--	--

Dear Sir,

Sub : Notice of Fourteenth Annual General Meeting of the Bank.

Further to our letter dated 09.07.2020, conveying the date of the Fourteenth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank, we enclose the Notice for the Fourteenth Annual General Meeting to be held on Friday, the August 07, 2020 at 11.00 a.m. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means. The Corporate Office of the Bank at No.254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai – 600014 shall be deemed to be the venue of the Annual General Meeting.

We request you to take on record the above.

Yours faithfully,

Arun Kumar Bansal
General Manager (Accounts) / CFO

Encl: a/a





कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवाएँ कक्ष
254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014

Corporate Office, Investor Services Cell
254 - 260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014

वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी) /
अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के
माध्यम से चौदहवीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस

•

**NOTICE OF FOURTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING
THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR
OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

शुक्रवार, 7 अगस्त 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे

Friday, the August 07, 2020 at 11.00 a.m.



प्रधान कार्यालय : 66, राजाजी सालै, चेन्नै – 600 001
कॉर्पोरेट कार्यालय : 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, चेन्नै – 600 014

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इंडियन बैंक के शेयरधारकों की चौदहवीं वार्षिक आम बैठक **शुक्रवार, 7 अगस्त 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधन(ओएवीएम) के माध्यम से** आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

1. बैंक के 31 मार्च 2020 को समाप्त वार्षिक लेखा परीक्षित तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे व लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यों व कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र व लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदित करना एवं अपनाना।

बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय, जो 254 – 260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600014 में स्थित है, वार्षिक आम बैठक का स्थान माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

सीन : चेन्नै
दिनांक : 03 जुलाई, 2020

पदमजा चुन्दूरु
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टिप्पणियाँ

1. **वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधन(ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (ई-एजीएम)**

कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते, एमसीए(कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय) ने परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, परिपत्र सं.17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 और सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के माध्यम से कंपनियों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए शेयरधारकों की बिना भौतिक उपस्थिति के अपनी वार्षिक आम बैठक करने की अनुमति प्रदान की है। सेबी(सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं)विनियमन, 2015(सेबी सूचीबद्ध विनियमनों) एवं एमसीए के परिपत्रों के अनुपालन में बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधन(ओएवीएम) के माध्यम से चौदहवीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन कर रहा है। इसलिए, शेयर धारक वार्षिक आम बैठक में केवल वीसी/ओएवीएम माध्यमों से ही उपस्थित/प्रतिभागिता कर सकते हैं। इस बैठक में वीसी/ओएवीएम माध्यमों से प्रतिभागिता करने के लिए ब्योरा नोट संख्या 9 में दिया गया है।

बैंक ने वार्षिक आम बैठक के लिए वीसी / ओएवीएम की सुविधा प्रदान करने और वार्षिक आम बैठक के संचालन के लिए अटेंडेंट एनबलर्स प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") को नियुक्त किया है।

सेबी और एमसीए के उपरोक्त परिपत्रों के अनुरूप, वार्षिक आम बैठक के नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजी जा रही है, जिनके ईमेल बैंक/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। शेयरधारक ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 को बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर अपलोड किया गया है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी प्राप्त किया जा सकता है और एजीएम नोटिस सीडीएसएल की वेबसाइट (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी) अर्थात www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारक अस्थायी रूप से एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए लिंक <https://investors.cameoindia.com> पर क्लिक करके अपने ई-मेल आईडी को पंजीकृत कर सकते हैं।

2. प्रोक्सी एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) के आवेदन:

पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुसार, इस एजीएम के लिए शेयरधारकों को मतदान में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रही है।

हालांकि, कॉर्पोरेट निकाय वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के हकदार हैं। वार्षिक आम बैठक में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने एवं ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करने के लिए संस्थागत/कॉर्पोरेट शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों/एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को अपने बोर्ड रिजॉल्यूशन या शासी निकाय रिजॉल्यूशन/ऑथराइजेशन इत्यादि की स्कैन की गई कॉपी (पीडीएफ/जेपीईजी फॉर्मेट) को भेजना आवश्यक है। उक्त रिजॉल्यूशन / ऑथराइजेशन को अपने पंजीकृत ईमेल के माध्यम से स्कूटनाइजर को murali@cameoindia.com को भेजा जाए, जिसकी प्रतिलिपि बैठक की तिथि से 4 दिन पूर्व यानि 01 अगस्त, 2020 को शाम 4.00 बजे या उससे पहले बैंक को investors@indianbank.co.in पर भेज दी जाए।

3. बही बंदी

बैंक के शेयरधारक रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण रजिस्टर को मंगलवार, 04 अगस्त, 2020 से शुक्रवार, 07 अगस्त, 2020 (सम्मिलित रूप से दोनों दिन) वार्षिक आम बैठक के लिए बंद रखा जाएगा।

4. अदावी लाभांश, यदि हो तो :

बैंकिंग कंपनियों की धारा 10 बी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार, कंपनी के अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205 सी / 125 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) को सात वर्षों की अवधि के लिए शेष बकाया या अदावी लाभांश की राशि को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, वर्ष 2011-12 तक की अप्रदत्त/ अदावी लाभांश राशि को आईईपीएफ में हस्तांतरित कर दिया गया है।

जिन शेयरधारकों ने 2012-13 से 2016-17 तक के वर्षों के लिए अपने लाभांश का दावा नहीं किया है / प्राप्त किया है, उनसे अनुरोध है कि वे लाभांश का भुगतान के लिए तुरंत बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट से संपर्क करें। बैंक ने अपनी साइट पर, यानि www.indianbank.in पर अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट का विवरण शेयरधारकों को शेयर ट्रांसफर एजेंट या बैंक के साथ संपर्क करके दावा करने के लिए पोस्ट किया है।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने बैंक खाते के विवरण को अद्यतन करें। वे शेयरधारक जो अपने शेयरों को भौतिक रूप में रखते हैं, उन्हें बैंक के निवेशक सेवाएँ कक्ष को या बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को नीचे पैरा (5) में दिए गए पते पर अपने बैंक अधिदेश को प्रस्तुत / अद्यतन करना चाहिए।

5. पते में परिवर्तन :

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना, बैंक के शेयर अन्तरण एजेंट को निम्नांकित पते पर दें :

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
(यूनिट : इंडियन बैंक)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, नं.1, क्लब हाउस रोड,
चेन्नै 600 002

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में हुए किसी भी परिवर्तन और ईसीएस अधिदेश के विवरण की सूचना सिर्फ अपने निक्षेपागार प्रतिभागी(गियों) को दें।

6. हरित पहल :

'हरित पहल' का समर्थन करने हेतु, जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना ईमेल पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गये हैं तो वे अपने डीपी के साथ अपना ईमेल पंजीकृत करें और यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गये हैं तो कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड के साथ अपना ईमेल पंजीकृत करें।

7. मतदान करने के अधिकार:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970, की धारा 3 की उपधारा (2 ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा तत्संबंधित नए बैंक का किसी भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक पड़नेवाले, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मतदान का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

उपर्युक्त के अध्यक्षीन, प्रत्येक शेयरधारक जो कट ऑफ तारीख शुक्रवार 31 जुलाई, 2020 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, वार्षिक आम बैठक में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग में भाग लेने और मतदान करने का हकदार होगा और उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा। यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है, तो मतदान के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को एकल धारक माना जाएगा। अतः, यदि शेयर संयुक्त शेयरधारकों के नाम में है, तो **सिर्फ प्रथम नामित व्यक्ति ई-एजीएम में भाग लेने के हकदार है और ऐजेंडा पर रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग पर वोट करने के हकदार है।**

8. भौतिक शेयरधारिता का अमूर्तीकरण – शेयरधारकों से विशेष अनुरोध

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, यथासंशोधित, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप में, प्रतिभूतियों के अग्रेषण या रूपांतरण के लिए प्राप्त अनुरोध के मामलों को छोड़कर, केवल अमूर्त रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को दूर करने के लिए और पोर्टफोलियो प्रबंधन में आसानी के लिए, भौतिक रूप में शेयरों को रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी शेयरधारिता को अमूर्त रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें।

9. रिमोट ई-वोटिंग, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने एवं ई-वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और निर्देश

9 (ए) रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के 44 विनियमन के अनुसार, बैंक के सभी शेयरधारकों को केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएँ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के जरिए विकल्प के रूप में कार्यसूची मदों के संबंध में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में बैंक को हर्ष हो रहा है ताकि दिनांक 03 जुलाई 2020 की बैंक की चौदहवीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस (एजीएम नोटिस) में उल्लिखित संकल्पों के संबंध में वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सकें। रिमोट ई वोटिंग प्रक्रिया के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया को एजीएम के तारीख पर न्योयोचित एवं पारदर्शी तरीके से संयोजित करने हेतु बैंक ने श्री एस एन अनन्तसुब्रमणियन, कंपनी सचिव को संवीक्षक के स्थान पर नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटिंग करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नवत् हैं:-

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन) 200713006 है

- (i) रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा मंगलवार 04 अगस्त, 2020 को पूर्वाह्न 09:00 बजे से गुरुवार, 06 अगस्त, 2020 अपराह्न 05:00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए खुली रहेगी। जो बैंक के शेयरधारक, कट-ऑफ तारीख, यानी 31 जुलाई, 2020 को, भौतिक या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयरों को रखते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- (ii) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com में लागू करें।
- (iii) "शेयरहोल्डर" पर क्लिक करें।
- (iv) अब अपना यूजर आईडी की प्रविष्टि करें।
 - (क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,
 - (ख) एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी,
 - (ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।

या

वैकल्पिक रूप से, यदि आपने सीडीएसएल की ईएसआई / ईएसआईएसटी ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत किया है तो आप Login-Myeasi <https://www.cdslindia.com> पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर लॉग-इन कर सकते हैं। सीडीएसएल की ईएसआई / ईएसआईएसटी ई-सेवाओं में सफलतापूर्वक लॉग-इन करने के बाद, ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक कर आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट प्रत्यक्ष रूप से डाल सकते हैं।

- (v) छवि सत्यापन को प्रदर्शित किए अनुसार दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- (vi) यदि आप डीमैट फॉर्म में शेयर रख रहे हैं और www.evotingindia.com पर लॉगइन किया है और किसी अन्य कंपनी के वोटिंग में शामिल हुये है, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते है।
- (vii) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें –

	डीमैट फॉर्म और भौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फा-न्यूमरिक 10 अंकोंवाला अपना *पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू) * जिन शेयरधारकों ने बैंक / आरटीए / निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक / आरटीए / निक्षेपागार प्रतिभागी द्वारा दिए गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि	लॉगिन करने के लिए लाभांश बैंक विवरण या अपने डीमैट खाते में या बैंक / आरटीए के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि (dd / mm / yyyy प्रारूप में) दर्ज करें। यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के साथ दर्ज नहीं हैं, तो निर्देश (iv) में उल्लिखित लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी / फोलियो संख्या दर्ज करें।

- (viii) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।
- (ix) भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक इसके बाद सीधे वोटिंग स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब "पासवर्ड सृजन" के मेनु में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लागइन पासवर्ड को प्रविष्टि करें। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग डीमैट धारकों द्वारा अन्य किसी भी कंपनी के संकल्पों के लिए वोट करने हेतु भी किया जाएगा, जहाँ वे वोट देने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के जरिए ई-वोटिंग का विकल्प उपलब्ध कराती है। हमारी सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें।
- (x) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर केवल ई-वोटिंग के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।
- (xi) संबंधित < कंपनी का नाम > ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिस पर आप मतदान देना चाहते हैं।
- (xii) वोटिंग के पृष्ठ पर आप संकल्प का वर्णन पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु "हाँ/नहीं" का विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार "हाँ" या "नहीं" का चयन करें। "हाँ" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और "नहीं" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- (xiii) आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- (xiv) आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके"(OK) पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो "कैन्सल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।
- (xv) आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट "पुष्टिकृत" (CONFIRM) कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।
- (xvi) वोटिंग के पृष्ठ पर प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक करें" पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए वोट को प्रिंट भी कर सकेंगे।
- (xvii) यदि डी-मैट खातादार, अपने बदले गए पासवर्ड को भूल जाता है तो उपयोगकर्ता आईडी और छवि सत्यापन कोड को दर्ज करें और "पासवर्ड भूल गए" पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें।
- (xviii) शेयरधारक सीडीएसएल के मोबाइल ऐप एम- वोटिंग का उपयोग करके भी अपना वोट दे सकते हैं। एम- वोटिंग ऐप को संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया अपने मोबाइल पर मतदान करते समय मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें।

इस नोटिस में प्रस्तावित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए— कृपया आवश्यक विवरण जैसे कि फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (पृष्ठ के दोनों तरफ का), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी), आधार (आधार की स्व सत्यापित स्कैन की गई प्रति) कार्ड आरटीए के ईमेल आईडी murali@cameoindia.com पर ईमेल द्वारा प्रदान करें।
2. डीमैट अंशधारकों के लिए — कृपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल –16 अंकों की लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल –16 अंक डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, ग्राहक की समेकित खाता विवरण की मास्टर या प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि) आरटीए ईमेल आईडी murali@cameoindia.com पर प्रदान करें।

9बी. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. शेयरधारक को सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक दूरस्थ ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके शेयरधारकों / सदस्यों लॉगिन के तहत <https://www.evotingindia.com> पर बैठक में जुड़ सकते हैं। वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्यों की लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।
2. शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। कुलपति / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा 1000 शेयरधारकों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी
3. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप / आई पैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
4. बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए शेयरधारकों को कैमरा की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
5. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण सही ऑडियो / वीडियो न मिलने जैसी समस्या का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के पूर्वोक्त ग्लिच को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
6. जिन शेयरधारकों को बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की इच्छा है, वे investors@indianbank.co.in को 31.07.2020 तक या उससे पूर्व अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या आदि का उल्लेख करते हुए अनुरोध भेजकर खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। जिन शेयरधारकों को एजीएम बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने की इच्छा नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछने की इच्छा है वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या आदि का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्न investors@indianbank.co.in को एडवांस में या 31.07.2020 से पूर्व भेज सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर बैंक द्वारा एजीएम बैठक में या ईमेल द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
7. जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
8. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना कोरम के उद्देश्य के लिए की जाएगी।

9 सी. एजीएम बैठक के दौरान ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नलिखित हैं : –

1. एजीएम बैठक के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया ऊपर बताए गए रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों के समान है।
2. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम बैठक में उपस्थित हैं तथा उन्होंने संकल्प पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है और अन्यथा ऐसा करने से रोका नहीं गया है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

3. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई मतदान किया है और यदि उन शेयरधारकों ने वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए मतदानों को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।
4. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक एजीएम बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम बैठक में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

(xix) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक और कस्टोडियन के लिए नोट –

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात्, वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि से अन्य) और कस्टोडियन को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होगा और खुद को कॉर्पोरेट्स के रूप में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था की मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करना होगा।
- लॉग-इन विवरण प्राप्त करने के बाद व्यवस्थापक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाना होगा। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।
- लॉग-इन में लिंक किए गए खातों की सूची को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए और उन खातों का अनुमोदन होने के पश्चात् वे अपना मतदान कर सकेंगे।
- बोर्ड के संकल्प और पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की एक स्कैन प्रति जो उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी की है, यदि कोई है, तो इसे सत्यापित करने के लिए स्क्रीनिंग के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों ने यदि उन्होंने अलग-अलग टैब से मतदान किया है और जांच के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में उसे अपलोड नहीं किया है तो उन्हें संबंधित बोर्ड के प्राधिकृत संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित हस्ताक्षर के साथ स्क्रीनिंग और बैंक को ईमेल पते murali@cameoindia.com तथा investors@indianbank.co.in पर भेजने की आवश्यकता होती है।

यदि आपको एजीएम बैठक में भाग लेने और ई-वोटिंग प्रक्रिया द्वारा ई-वोटिंग करने से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है या समस्या है, तो तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग के तहत उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं या मि. नितिन कुंदर (022-23058738) या मि. महबूब लखानी (022-23058543) या मि. राकेश दलवी (022-23058542) से संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 को प्रेषित करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेजें या 022-23058542 / 43 पर कॉल करें।

10. ई-एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के परिणाम :

रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों को एजीएम बैठक में ई-वोटिंग के परिणामों के साथ एकत्र किया जाएगा जिसकी घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

वर्ष 2019-20 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी अलग से भेजी जा रही है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 03 जुलाई, 2020

पद्मजा चुन्डूर

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



Head Office : 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **Fourteenth Annual General Meeting** of the Shareholders of **INDIAN BANK** will be held on Friday, **the August 07, 2020 at 11.00 a.m. (I S T) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2020, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

The Corporate Office of the Bank at No.254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai – 600014 shall be deemed to be the venue of the Annual General Meeting.

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai
Date : July 03, 2020

Padmaja Chunduru
Managing Director & CEO

NOTES

1. ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (“E-AGM”):

In view of the continuing Covid-19 pandemic, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/ 79 dated 12th May, 2020 permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM for the calendar year 2020 without the physical presence of the shareholders. In compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”) and MCA circulars, the Bank is holding the Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM). Hence, Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The detailed procedure for participating in the Meeting through VC/OAVM is given in Note No.9.

The Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (“CDSL”), to provide VC/OAVM facility for the AGM and the attendant enablers for conducting of the AGM.

In line with the aforesaid SEBI and MCA Circulars, the Notice of AGM along with Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank/ Depositories. Shareholder may note that Notice and Annual Report 2019-20 have been uploaded on the website of the Bank at www.indianbank.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and the AGM Notice is also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evotingindia.com.

Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link <https://investors.cameoindia.com> to get the soft copy of the Notice of AGM and the Annual Report.

2. APPOINTMENT OF PROXIES AND AUTHORIZED REPRESENTATIVE(S):

Pursuant to the aforesaid circulars, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the shareholders is not available for this AGM, as it is being held through VC/OAVM.

However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting. Institutional /Corporate Shareholders (i.e. other than individuals/HUF, NRI, etc) are required to send a scanned copy (PDF/JPEG Format) of its Board Resolution or governing body Resolution/Authorisation etc., authorising its representative to participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM on its behalf and to vote through e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through their registered email address to murali@cameoindia.com with copy marked to the Bank at investors@indianbank.co.in not later than four days before the date of the meeting, i.e., on or before **4.00 p.m. on August 01, 2020**.

3. BOOK CLOSURE :

The Register of Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Tuesday, the August 04, 2020 to Friday, the August 07, 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

4. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C / 125 of the Companies Act, 1956 / 2013. As such, the unpaid / unclaimed dividend amount upto the year 2011-12 has been transferred to IEPF.

The shareholders who have not claimed / received their Dividend for the years from 2012-13 to 2016-17, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for payment of the dividends immediately. The Bank has posted the details of the Unclaimed / Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.Indianbank.in to enable the shareholders to claim by contacting the Share Transfer Agent / or the Bank.

The shareholders holding shares in demat form are requested to update their bank account details with their depository participant. The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to the Investor Services Cell of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in Para (5) below.

5. CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

**Cameo Corporate Services Limited
(Unit : Indian Bank)
Subramanian Building
No.1, Club House Road
Chennai - 600 002.**

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and ECS mandate details **only to their respective Depository Participant(s)**.

6. GREEN INITIATIVE:

To support the 'Green Initiative', shareholders who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in electronic form and with Cameo Corporate Services Limited in case the shares are held by them in physical form.

7. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **cut-off date Friday, the July 31, 2020** will be entitled to participate and vote in the remote e-voting or e-voting at the Annual General Meeting and shall have one vote for each share held by him / her. If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to participate in the e-AGM and vote on the agenda either through remote e-voting or voting at the e-AGM.

8. DEMATERIALISATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST TO SHAREHOLDERS:

As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 01, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, shareholders holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form.

9. PROCEDURE & INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING, JOINING THE AGM THROUGH VC/ OAVM AND FOR E-VOTING DURING E-AGM:

9A. REMOTE E-VOTING

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank is pleased to provide remote e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of Agenda Item for all shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the resolution mentioned in the notice of Fourteenth Annual General Meeting of the Bank dated July 03, 2020 (the AGM Notice). The Bank has appointed M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting process on the date of the AGM in a fair and transparent manner. Remote e-voting is optional.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) is 200713006
--

- (i) The remote e-voting period begins from 9.00 a.m. on Tuesday, the August 04, 2020 and ends at 5.00 p.m. on Thursday, the August 06, 2020. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of July 31, 2020 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on "Shareholders" module.
- (iv) Now enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

OR

Alternatively, if you are registered for CDSL's **EASI/EASIEST** e-services, you can log-in at <https://www.cdslindia.com> from Login-Myeasi using your login credentials. Once you successfully log-in to CDSL's **EASI/EASIEST** e-services, click on **e-Voting** option and proceed directly to cast your vote electronically.

- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) * Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

- (viii) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- (ix) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xvii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app “**m-Voting**”. The m-Voting app can be downloaded from respective Store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while Remote Voting on your mobile.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTIONS PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **RTA email id** : murali@cameoindia.com
2. For Demat shareholders -, please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to **RTA email id** : murali@cameoindia.com.

9B. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM AREAS UNDER:

1. Shareholder will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Shareholders may access the same at <https://www.evotingindia.com> under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Bank will be displayed.
2. The Shareholders can join the AGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis
3. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
4. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
5. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
6. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance **on or before 31.07.2020** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investors@indianbank.co.in The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance **on or before 31.07.2020** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investors@indianbank.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably at the AGM or by email.
7. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
8. The shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of quorum.

9C. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR E-VOTING DURING THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolution through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

3. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.
4. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

(xix) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; murali@cameoindia.com and investors@indianbank.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

10. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING E-AGM:

The results of the remote e-voting aggregated with the results of e-Voting at the AGM will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

THE SOFT COPY OF THE ANNUAL REPORT OF THE BANK FOR THE YEAR 2019-20 IS BEING SENT SEPARATELY.

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai
Date : July 03, 2020

Padmaja Chunduru
Managing Director & CEO